संख्या : १२४/ वन/२००१

प्रेषक :

अपर सचिव,
वन एवं पर्यावरण,
उत्तरांचल शासन.

प्रेषित : प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तरांचल, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभागः देहरादूनः दिनांकः २६ मई, २००१

विषयः कोर्ट केसों की पैरवी बाबत।

महोदय,

प्रायः यह देखा गया है कि वन विभाग के कतिपय से जो भी कोर्ट केसेज, मा० न्यायालयों में भेजने हेतु, शासन को सन्दर्भित किये जाते हैं, वे सभी निर्धारित समय की समाप्ति के बहुत आसपास ही शासन स्तर कार्यवाही हेतु भेजे जाते हैं । यह स्थिति उचित नहीं है। होना यह चाहिए कि जैसे ही प्रकरण प्राप्त होते हैं, तुरन्त उन पर, सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करते हुए, शासन समय पर भेजे जाय ताकि प्रकरणों के गुणावगुण के आधार पर शासन स्तर पर कोई निर्णय लिया जा सके। परन्तु ऐसा न कर विभाग द्वारा प्रकरणों को लम्बित रखा जाता है और जब निर्धारित समय समाप्ति की ओर रहता है तो शासन को प्रकरण सन्दर्भित कर दिये जाते हैं ।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया प्रकरणों को समय रहते शासन को उपलब्ध कराया जाय और यदि कोई प्रकरण समय समाप्ति के आसपास शासन को भेजा गया तो उसे स्वीकार नहीं किया जायेगा, फलस्वरूप विलम्ब जनित परिणामों के लिए विभाग/ संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

कृपया उक्त निर्देश सभी अधिकारियों को अवगत करा दिये जाय ।

भवदीय

ह०-

(अशोक)
अपर सचिव

संख्या (१) /वन/ २००१, तद्दिनांकित,

प्रतिलिपि प्रबंध निदेशक, उत्तरांचल वन विकास निगम, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि स्टाफ आफीसर, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास को सूचनार्थ प्रेषित।

(अशोक)
अपर सचिव